

कार्यालय वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग
(साधारण बीमा निधि)

डी- ब्लॉक, द्वितीय तल, वित्त भवन, जनपथ, विधानसभा के पास, जयपुर-302005
दूरभाष - 2740252, 2740219, 2740292 (फैक्स)

Email: add.medi.sipf@rajasthan.gov.in
Website: www.sipf.rajasthan.gov.in

मेडिकलेग बीमा पॉलिसी शिड्यूल

(विशेष निर्मित पॉलिसी)

राजस्थान राज्य रोड़ डवलपमेन्ट एण्ड कन्सट्रक्शन कार्पोरेशन लि०

पॉलिसी नं. : जी.आई.एफ./८१/मेडि./२०१७-१८/२९
बीमा अवधि : १२.०१.२०१८ से ११.०१.२०१९ (मध्य रात्रि)
बीमित का नाम : दिनांक ०१.०१.२००४ व उसके पश्चात राजस्थान राज्य रोड़ डवलपमेन्ट एण्ड कन्सट्रक्शन कार्पोरेशन लि०, जयपुर के १९ कार्मिक एवं उन पर आश्रित परिजन।

जारी की तारीख : ०९.०२.२०१८

कुल बीमा राशि : रुपये ३ लाख

(प्रति कर्मचारी एवं उनके नियमानुसार आश्रित परिजन)

प्रीमियम : ७५००/- +३०+१८.००% (जी.एस.टी). Category - A / B / C

कुल कर्मचारी (जिनके लिए प्रीमियम प्राप्त): १९

शुद्ध प्रीमियम मय विविध व्यय रू.	1,43,070/-
जी.एस.टी. : @१८.००%	25,753/-
कुल प्रीमियम रू.	1,68,823/-

ई-ग्रास चालान सं २०६११४४३ दिनांक ११.०१.२०१८ राशि रू. १,६८,८२३/-

जोखिम का विवरण

जोखिम आवरण : राजस्थान राज्य रोड़ डवलपमेन्ट एण्ड कन्सट्रक्शन कार्पोरेशन लि० के कार्मिक व परिजनों हेतु ग्रुप मेडिकलेम, विशेष रूप से निर्मित
पॉलिसी-बीमा राशि : ३ लाख प्रति कार्मिक परिवार
पॉलिसी क्लॉज के अध्यक्षीन राजस्थान राज्य रोड़ डवलपमेन्ट एण्ड कन्सट्रक्शन कार्पोरेशन लि० के कार्मिक के परिवार में निम्न शामिल है:

- राजस्थान राज्य रोड़ डवलपमेन्ट एण्ड कन्सट्रक्शन कार्पोरेशन लि० कार्मिक (स्वयं),
- उसका/उसकी पति/पत्नी
- २ आश्रित बच्चें जिनकी आयु २१ वर्ष से अधिक नहीं हों।
- आश्रित माता-पिता आर.एस.आर.डी.सी.सी. के कार्मिक पर आश्रित माने जायेंगे जबकि वे सामान्यतया आर.एस.आर.डी.सी.सी. के कार्मिक के साथ, उसके तैनाती स्थल पर रहते हों एवं उनकी मासिक आय सभी स्त्रोतों से रुपये २०००/-से अधिक नहीं हो।

वर्ष २०१७-१८ की पॉलिसी के संचालन के लिए पैरामाउण्ट हेल्थ सर्विसेज एण्ड इंशोरेन्स टीपीए प्रा. लि. नियुक्त है।

कार्यालय वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक, साधारण बीमा निधि
टीपीए डेस्क, पैरामाउण्ट हेल्थ सर्विसेज एण्ड इंशोरेन्स टीपीए प्रा. लि.
डी-२०४ ए, द्वितीय तल, डी-ब्लॉक, वित्त भवन, जनपथ, विधानसभा के पास,
जयपुर - ३०२००५ (राजस्थान) फोन नं.: ०१४१-६४५६६५६
ई-मेल: pbs.sipf@gmail.com
आपातकालीन परिस्थिति में सम्पर्क करें: +९१ ९११६७४२४६६
(श्री अशोक चौधरी, रीजनल मैनेजर, टीपीए)

इस पॉलिसी से संबंधित दावों/दस्तावेजों को साधारण बीमा निधि/टीपीए के कार्यालय में जमा करावें।
[उपरोक्त में यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसकी सूचना पृथक से जारी की जावेगी, जिसे विभागीय वेबसाइट
(www.sipf.rajasthan.gov.in) पर देखा जा सकता है।]
साधारण बीमा निधि की मेडिकलेम पॉलिसी की सामान्य शर्तों के अध्यक्षीन राजस्थान राज्य रोड़ डवलपमेन्ट एण्ड कन्सट्रक्शन कार्पोरेशन लि० कार्मिक को बीमा आवरण प्रदान किया गया है।

अतिरिक्त निदेशक
राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग
सा.बी.नि. एवं मेडिकलेम, जयपुर

वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक
राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग
राजस्थान, जयपुर

